ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना जिला ऊना की उपयोक्ता प्रभार निधियो ंका अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 9/2005 से 3/14

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के दृष्टिगत ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना के अवधि 09/05 से 03/14 के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण इस विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 1.12.14 से 31.1.15 के दौरान ऊना मे किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना का गठन सभाएं पंजीकरण अधिनियम 21 ऑफ 1860 के अन्तर्गत किया गया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासो का चयन किया गया

वर्ष	आय	व्यय
2005–06	9/05	12/05
2006–07	7/06	3/07
2007–08	9/07	3/08
2008–09	7/08	7/08
2009–10	7/09	7/09
2010–11	7/10	11/10
2011–12	3/12	6/11
2012–13	9/12	12/12
2013–14	8/13	10/13

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना के अध्यक्ष व सचिव पद पर कार्यरत्त रहेः–

अध्यक्ष

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती अनीता तेगटा	12.7.05 से 15.6.07
2	श्री राजेश कुमार	18.6.07 से 12.11.07
3	श्री ओंकार शर्मा	12.11.07 से 21.1.08
4	श्री पदम सिंह चौहान	5.2.08 से 4.7.09
5	श्री के0आर0 भारती	4.7.09 से 31.5.12
6	श्री जे0आर0 कटवाल	6.6.12 से 24.10.12
7	श्री सन्दीप कदम	24.10.12 से 30.1.13
8	श्री अभिषेक जैन	30.1.13 से लगातार

सदस्य सचिव

1	श्री राजदेव सिंह जसरोटिया	3.3.05 से 8.5.06
2	श्री वी0एस0 अभी	8.5.06 से 16.4.07
3	श्री राकेश शर्मा	16.4.07 से 23.2.08
4	श्री रितेश चौहान	23.2.08 से 2.7.08
5	श्री बी0आर0 कमल	2.7.08 से 2.3.09
6	श्री राकेश शर्मा	2.3.09 से 3.7.09
7	श्री प्रदीप ठाकुर	8.7.09 से 16.5.12
8	श्री नरेश ठाकुर	16.5.12 से 29.1.13
9	श्री धनवीर ठाकुर	28.2.13 से 31.7.13
10	श्री दर्शन कालिया	1.8.13 से 31.3.14

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1			
2			
3			
4			
5			

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भो गलत सूचना अथवा जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) के वर्तमान लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹34000/– बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23/2015 दिनांक 10.2.15 जारी करके उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

3 वित्तोय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना द्वारा वर्ष 2003 से कार्य करना आरम्भ किया गया तथा सोसाईटी का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 (एफ) (1) 3/2000 ई0 गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.2005 के अन्तर्गत अवधि 9/2005 से 3/2014 तक किया गया है। ई गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ/सेवाऐं भी प्रदान की जा रही है जैसे कि

भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना व भूमि का परचा इत्यादि जारी करना। इन सभी सेवाओं के प्रदान करने पर प्राप्त सेवा शुल्क को इकटठा एक ही रोकड़ बही में दर्ज किया गया है। परिणामस्वरूप सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों से सम्बन्धित आय व व्यय की रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई अवधि 9/05 से 3/14 तक की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "i"** पर संलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है कि परिवहन की गतिविधियो ंसे प्राप्त आय तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके परिवहन की गतिविधियो ंसे सम्बन्धित वित्तीय स्थिति को अलग से तैयार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ई– गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना रोकड़ बही तथा बैंक जमाओं में ₹23753 का अन्तर था जिसका समाधान विवरण **परिशिष्ट "ii"** पर दिया गया है।

दिनाँक 31.3.14 को रोकड़ बही का अन्तशेष	₹5406363.30
बैंकों में जमा राशि	₹5430116.30
अन्तर	₹23753

(ग) जिला ऊना के विभिन्न (आर0एल0ए0) से प्राप्त आय की राशि का विवरण **परिशिष्ट "iii"** पर दिया गया है।

4 सावधि जमा में निवेश न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना द्वारा दिनांक 31.3.14 तक ₹5430116/– बैंक बचत खातों में जमा करवाए गए थी तथा सावधि जमा में कोई भी निवेश नहीं किया गया था। अंकेक्षण का सुझाव है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्त्तर पर आन्तरिक जाँच करके राशि का एक समुचित भाग सावधि जमा में निवेशित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में संस्था द्वारा अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके।

5 सहकारी बैंक में राशि जमा न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन एफ (ए) 1–68/91–5 दिनांक 17.4.14 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थओा ंकी निधियों को प्रदेश के सहकारी बैंकों में जमा करवाया गया अपेक्षित है परन्तु जाँच में पाया गया कि ई गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना द्वारा अपने बचत खातों का रख रखाव प्रदेश के सहकारी बैंक में न करके अन्य बैंकों में किया गया है जोकि प्रदेश सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अवहलना है। अतः खातों का रख रखाव सहकारी बैंकों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही/लेखों का रख रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नन्स दिनांक 3.9.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखो ंका रख रखाव उचित प्रकार से करते हुए प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित है, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से कियाग या है और न ही Ledger बनाए गए है तथा सोसाईटी द्वारा प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet भो तैयार नहीं की गई है। अतः नियमों की अनुपालना करते हुए अविलम्ब रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से करके सम्बन्धित लैजर, आय तथा व्यय की विवरणी, बैलेन्स शीट तथा बैंक समाधान विवरण भी समय–समय पर तैयार की जाए व जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत की जाए।

7 ऋण के रूप में जारी की गई राशि ₹410824/– को वापिस न लने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) द्वारा अवधि 9/05 से 3/14 के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹410824/– ऋण क रूप में भुगतान की थी, परन्तु इन ऋणों की वसूली कब की गई इसके बारे में अभिलेख में कोई भी विवरण/साक्ष्य नहीं पाया गया। इस बारे यह मामला अध्यक्ष ई–गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उपायुक्त जिला ऊना के ध्यान में भी अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 9/15 दिनांक 16.1.15 के द्वारा लाया गया है परन्तु उनक द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः जारी किए गए ऋण की वसूली करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

दिनांक	चैक सं0	अधिकारी का नाम	राशि
4.9.09	340430	उपमण्डलाधिकारी अम्ब	300000
27.12.10	041951	उपायुक्त ऊना	85824
5.6.12	456305	उपमण्डलाधिकारी बंगाणा	25000
		योग	**₹410824**

8 अग्रिम के रूप में जारी की गई ₹656565/– का समायोजन न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ईगवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) ऊना द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु निम्नविवरणानुसार ₹656565/– अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी जिसका

समायोजन नहीं किया गया है। इस मामले को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 9/2015 दिनांक 16.1.15 के माध्यम से अध्यक्ष ई0–गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उपायुक्त जिला ऊना के ध्यान में लाया गया है परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस ₹656565/– का समायाजन शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	चैक संख्या	विभाग/कर्मचारी/फर्म का नाम	उद्देश्य	राशि
4.7.08	444735	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन शिमला	कम्पयूटर क्रय	60400
19.3.09	197746	DRO Una	Preparation of Boards regarding Charges/fees	105525
16.3.10	042696	हि0प्र0 स्टेट इलैक्ट्रानिकस कारपोरेशन शिमला	कम्पयूटर क्रय	57420
18.5.10	043659	श्रीमती पूनम शर्मा I.T. Faciliatator	Verification of lobmitra kendras	10000
10.6.10	356885	अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ऊना	यू0पी0एस0एम0 की मुरम्मत हेतु	29200
8.6.12	456306	उपमण्डलाधिकारी बंगाणा	उदघाटन के लिए	50000
5.9.12	760601	सहायक अभियन्ता विद्युत उपमण्डल ऊना	Computer wiring in DC office Room No. 201 C202	137100
23.10.13	–	एच0पी0 स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलेपमेन्ट कारपोरेशन शिमला	कम्पयूटर क्रय	146520
			योग	**₹656565**

9 मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना को बिक्री कर के रूप में ₹14630/– का अनियमित भुगतान करनाः–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि स्टेशनरी की मदों की आपूर्ति हेतु दिनांक 5.5.06 को निमन फर्मों की निविदाऐं प्राप्त करके खोली गईः–

(i) मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना

(ii) मैसर्ज परमदयाल बुक स्टोर ऊना

(iii) मैसर्ज यूनिवर्सल सिस्टम ऊना

मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना की निविदा में बिक्री कर अतिरिक्त लेने बारे कोई भी उल्लेख न था जबकि अन्य दो फर्मों द्वारा बिक्री कर अतिरिक्त लेने बारे शर्त लगाई गई थी।

अतः निविदाऐं से स्वतः स्पष्ट था कि मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना द्वारा बिक्री कर अतिरिक्त नहीं लगाया जाना था, परन्तु उक्त फर्म को भुगतान करते समय बिक्रो कर के रूप में निम्नानुसार ₹14630/– का अनियमित भुगतान किया गया है जिसके बारे में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 13/15 दिनांक 20.1.15 द्वारा भी आपत्ति उठाते हुए मामला अध्यक्ष ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उपायुक्त जिला ऊना के ध्यान में लाया गया है। अतः ₹14630/– की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

चैक संख्या	दिनांक		बिल संख्या	दिनांक	बिक्री कर 4%
076822	11.1.07	(i)	225	11.7.06	428
		(ii)	226	11.7.06	834
		(iii)	229	11.7.06	342
		(iv)	230	12.7.06	1406
		(v)	231	12.7.06	35
		(vi)	252	22.7.06	195
		(vii)	253	22.7.06	848
		(viii)	254	22.7.06	10
004486	28.3.07	(i)	846	15.3.07	500
		(ii)	847	15.3.07	500
		(iii)	852	16.3.07	440
		(iv)	853	16.3.07	843
		(v)	858	19.3.07	1969
		(vi)	861	20.3.07	500
		(vii)	862	20.3.07	340
		(viii)	867	22.3.07	5440
				योग	**₹14630**

10 आकस्मिक व्यय के रूप में जारी की गई ₹559894/– के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अवधि 9/05 से 8/09 के दौरान जिला ऊना के विभिन्न अधिकारियों को प्रत्येक 6 मास के उपरान्त आकस्मिक व्यय करने के लिए निम्नविवरणानुसार ₹559894/– जारी की गई है। इस प्रकार आकस्मिक व्यय हेतु राशि जारी करने का नियमों में कोई भी प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष ई0–गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उपायुक्त ऊना से भी अनुभाग अधिकारी क पत्र क्रमाँक 14/15 दिनाँक 20.1.15 द्वारा भी नियमों की प्रति तथा जिसमें इस प्रकार का प्रावधान हो तथा आकस्मिक व्यय हेतु जारी की गई राशि के व्यय/समायोजन का अभिलेख अंकेक्षण मे उपलब्ध करवाने का अनुरोध कयिा गया है, परन्तु

इस बारे कोई भी सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	प्राप्तकर्ता	राशि
5.9.05	तहसीलदार बंगाणा	25000
5.9.05	जिला कल्याण अधिकारी	15000
24.9.05	ए0सी0टू0डी0सी0 ऊना	5000
7.12.05	ए0डी0एम0 ऊना	25000
7.12.05	एस0डी0ओ0 (सी) ऊना	25000
7.12.05	तहसीलदार बंगाणा	15000
24.4.06	एस0डी0ओ0 (सी) ऊना	25000
24.4.06	तहसीलदार बंगाणा	15000
24.4.06	तहसीलदार ऊना	15000
20.11.06	तहसीलदार ऊना	13962
30.3.07	एस0डी0ओ0 (सी) ऊना	20153
20.4.07	तहसीलदार अम्ब	14710
25.4.07	तहसीलदार हरोली	15000
25.4.07	नायब तहसीलदार भरवाईं	15000
18.7.07	तहसीलदार ऊना	13479
18.7.07	एस0डी0ओ0 (सी) ऊना	19500
19.9.07	तहसीलदार हरोली	15000
12.12.07	तहसीलदार ऊना	10896
23.1.08	एस0डी0ओ0 (सी) ऊना	19506
7.2.08	तहसीलदार अम्ब	14720
15.3.08	एस0डी0ओ0 (सी) अम्ब	25000
26.5.08	तहसीलदार हरोली	14172
4.6.08	तहसीलदार ऊना	11447
4.8.08	तहसीलदार अम्ब	14342
21.8.08	एस0डी0ओ0 (सी) ऊना	25000
27.8.08	तहसीलदार बंगाणा	15000
16.12.08	तहसीलदार ऊना	13574
19.3.09	तहसीलदार बंगाणा	14733
8.4.09	तहसीलदार ऊना	14915
6.5.09	तहसीलदार अम्ब	13562
27.7.09	तहसीलदार ऊना	14836
18.8.09	नायब तहसीलदार भरवाईं	36541
19.8.09	तहसीलदार हरोली	9846
	योग	**₹559894**

11 नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन विभाग हिमाचल प्रदेश से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ₹1750492/– की स्टेशनरी का खुले बाजार से क्रय करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना जिला के लेखों के अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि उक्त ईकाई द्वारा स्टेशनरी की खरीद हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से न करके खुले बाजार से की गई जोकि अनियमित है। यदि किसी कारणवश स्टेशनरी का क्रय खुले बाजार से ही करना था तो भी यह खरीद हिमाचल प्रदेश के मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त करके की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को भण्डार रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया है जिससे स्टेशनरी के उपयोग बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ईकाई द्वारा स्टेशनरी की खरीद बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए खुले बाजार से करने तथा भण्डार पंजिकाओं में क्रय की गई स्टेशनरी को न दर्ज करने बारे स्थिति नियमानुसार स्पष्ट की जाए। उक्त प्रकरण को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 16/2015 दिनाँक 20.1.15 द्वारा अध्यक्ष ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उपायुक्त ऊना के ध्यान में लाया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

खुले बाजार स क्रय की गई स्टेशनरी का विवरणः–

दिनांक	फर्म का नाम		बिल संख्या	दिनांक	राशि
24.10.05	मैसर्ज कार्तिकेय कामनिकेशन ऊना		5	4.10.05	41300
27.10.05	मैसर्ज सूर्य इन्टरप्राईजिज ऊना		237	28.8.05	23436
14.2.06	मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना		498	20.11.05	68770
8.8.06	मैसर्ज परमदयाल बुक डिपो ऊना		3362	12.10.05	15325
11.1.07	मैसर्ज परमदयाल बुक डिपो ऊना	(i)	4980	24.6.06	
		(ii)	4981	24.6.06	
		(iii)	4990	29.6.06	
		(iv)	4991	29.6.06	
		(v)	4992	2.8.06	
		(vi)	5002	28.7.06	
		(vii)	5003	28.7.06	85973

11.1.07	मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना	(i)	252	22.7.06	
		(ii)	253	22.7.06	
		(iii)	254	22.7.06	
		(iv)	255	22.7.06	
		(v)	226	11.7.06	
		(vi)	230	11.7.06	
		(vii)	231	11.7.06	
		(viii)	229	11.7.06	105865
11.1.07	मैसर्ज शिवा स्टेशनरी मार्ट ऊना		2011	18.7.06	9977
11.1.07	मैसर्ज यूनिवर्सल सिस्टम ऊना	(i)	372	1.7.06	
		(ii)	408	19.8.06	
		(iii)	449	19.10.06	15734
11.1.07	मैसर्ज मीना प्रिंटर्ज एण्ड स्टेशनरी ऊना		236	19.6.06	11000
28.3.07	मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना	(i)	846	15.3.07	
		(ii)	847	15.3.07	
		(iii)	853	16.3.07	
		(iv)	858	19.3.07	
		(v)	861	20.3.07	
		(vi)	867	22.3.07	273862
4.5.07	मैसर्ज परमदयाल बुक स्टोर ऊना	(i)	465	5.4.07	
		(ii)	473	5.4.07	
		(iii)	474	5.4.07	
		(iv)	475	5.4.07	
		(v)	476	5.4.07	
		(vi)	477	5.4.07	
		(vii)	478	5.4.07	
		(viii)	479	5.4.07	
		(ix)	480	5.4.07	306044
4.5.07	मैसर्ज यूनिवर्सल कम्पयूटरज ऊना	(i)	101	30.3.07	
		(ii)	102	30.3.07	

		(iii)	103	30.3.07	
		(iv)	104	30.3.07	
		(v)	105	30.3.07	
		(vi)	106	30.3.07	78882
4.7.08	मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना	(i)	1271	26.5.08	
		(ii)	1272	26.5.08	
		(iii)	1273	26.5.08	
		(iv)	1276	26.5.08	
		(v)	1277	26.5.08	
		(vi)	1278	26.5.08	
		(vii)	1279	26.5.08	
		(viii)	1280	26.5.08	326800
21.7.08	मैसर्ज परमदयाल बुक स्टोर ऊना	(i)	188	6.6.08	
		(ii)	189	6.6.08	
		(iii)	191	6.6.08	
		(iv)	198	6.6.08	
		(v)	207	9.6.08	
		(vi)	208	9.6.08	
		(vii)	209	9.6.08	
		(viii)	211	9.6.08	
		(ix)	286	9.6.08	305311
12.3.09	मैसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो ऊना		1865	26.2.09	15184
21.5.09	मैसर्ज मीना प्रिटर्ज ऊना		347	–	42500
29.6.09	मैसर्ज परमदयाल बुक स्टोर ऊना		572	15.6.09	24529
				योग	**₹1750492**

12 हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डिवलेपमैनट कारपोरेशन से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही ₹1752595/– के कम्पयूटर का खुले बाजार से क्रय करना तथा क्रय किए कम्पयूटरों की भण्डार पंजिका में दर्ज न करनाः–

ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना द्वारा खुले बाजार से निविदाओं के आधार पर हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिक्स डिवलेपमैन्ट कारपोरेशन शिमला से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही कम्पयूटर क्रय करने पर निम्न विवरणानुसार ₹1752595/– का व्यय किया गया है तथा क्रय किए गए कम्पयूटरो ंको भण्डार पंजिका में भी दर्ज नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 17/2015 दिनाँक 20.1.15 के द्वारा अध्यक्ष

ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उपायुक्त ऊना के ध्यान में भी ला दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन कम्पयूटरो ंका क्रय करके जिला के विभिन्न कार्यालयो को आपूर्ति की गई है। अतः हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलेपमैन्ट कारपोरेशन शिमला से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही कम्पयूटर क्रय तथा इन्हें भण्डार पंजिका में दर्ज न करने का औचित्य नियमानुसार इस विभाग को दिया जाए।

खुले बाजार से क्रय किए गए कम्पयूटरों तथा सम्बन्धित उपकरणों का विवरणः—

दिनांक	फर्म का नाम		बिल संख्या	दिनांक	राशि
24.10.05	मै0 कार्तिकेय कम्यूनिकेशन ऊना		5	4.10.05	41300
27.10.05	मै0 सूर्या इन्टरप्राईजिज ऊना		237	28.8.05	23436
2.11.05	मै0 यूनिवर्सल सिस्टमस कम्पयूटर हार्डवेयर ऊना	(i)	156	26.9.05	
		(ii)	164	6.10.05	135339
5.12.05	—यथोपरि—	(i)	187	25.10.05	
		(ii)	202	18.11.05	117884
14.2.06	—यथोपरि—	(i)	186	20.10.05	
		(ii)	243	13.1.06	77688
20.11.06	—यथोपरि—		468	9.11.06	29250
20.6.07	मै0 अलाईड टैकनॉलॉजी चण्डीगढ़		8	14.7.06	53040
1.8.07	मै0 एच0एच0 टैक्नोलॉजी प्रा0लि0 चण्डीगढ़		8694	31.3.07	24500
9.8.07	मै0 क्लासिक कम्पयूटर सोल्यूशन ऊना		—	—	216320
20.9.07	मै0 यूनिवर्सल कम्पयूटर ऊना		245	7.3.07	45428
15.10.07	—यथोपरि—		—	—	84720
22.1.08	—यथोपरि—		334	16.12.07	28240
22.1.08	मै0 क्लासिक कम्पयूटर सोल्यूशन ऊना	(i)	114	22.9.07	
		(ii)	168	24.9.07	17628
18.3.08	—यथोपरि—		242	4.2.08	16536
21.7.08	—यथोपरि—	(i)	371	2.6.08	
		(ii)	372	2.6.08	
		(iii)	374	2.6.08	74680
21.7.08	मै0 यूनिवर्सल कम्पयूटर ऊना	(i)	452	7.6.08	

		(ii)	453	7.6.08	
		(iii)	460	9.7.08	308880
25.9.08	–यथोपरि–	(i)	576	12.9.08	
		(ii)	582	12.9.08	8616
17.2.09	मै0 हिम इलैक्ट्रिकल ऊना	(i)	1469	25.9.08	
		(ii)	1470	25.9.08	22150
20.2.09	मै0 क्लासिक कम्पयूटर सोल्यूशन ऊना		647	11.12.07	171000
19.3.09	मै0 क्लासिक कम्पयूटर सोल्यूशनज ऊना		777	7.3.09	95000
23.10.09	मै0 रजनीश लक्ष्मण दास मार्ग ऊना	(i)	1072	12.10.09	
		(ii)	1073	12.10.09	107860
7.11.09	मै0 क्लासिक कम्पयूटर सोल्यूशनज ऊना	(i)	1033	10.8.09	
		(ii)	1039	12.8.09	
		(iii)	1046	13.8.09	45700
7.11.09	मै0 यूनिवर्सल कम्पयूटर ऊना		989	24.7.09	7400
				योग	**₹1752595**

13 सोसाईटी द्वारा ₹3577780/– के कम्पयूटर, एयर कन्डीशनर फर्नीचर तथा विभिन्न मदों को भण्डार पंजिका में दर्ज न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलेपमैन्ट कारपोरेशन शिमला से क्रय किए गए कम्पयूटरों, खुले बाजार से क्रय किए गए एयर कन्डीशनर, फर्नीचर तथा विभिन्न मदों को भण्डार पंजिकाओं में दर्ज नहीं किया गया है। इस बारे मामला अध्यक्ष ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उपायुक्त ऊना के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 18/2015 दिनांक 20.1.15 द्वारा भी लाया गया है परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः क्रय की गई मदों को भण्डार पंजिका में दर्ज करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

		राशि
(i)	एच0पी0 स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलपमैनट कारपोरेशन शिमला से क्रय किए गए कम्पयॅअर तथा उपकरण	2595520
(ii)	एयर कन्डीशनर	456230
(iii)	फर्नीचर	288443
(iv)	अन्य विभिन्न मदें	237587
	योग	**3577780**

उक्त मदों के बिलों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

एच0पी0 स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवपलमैन्ट कारपोरेशन शिमला से क्रय किए गए कम्पयूटर तथा सम्बन्धित उपकरणों/मदों का विवरणः–

दिनांक		बिल संख्या	दिनांक	राशि
28.3.07	(i)	15153	17.10.06	
	(ii)	15154	17.10.06	
	(iii)	15155	17.10.06	
	(iv)	15227	31.10.06	
	(v)	15249	5.11.06	
	(vi)	15267	9.11.06	
	(vii)	15621	29.12.06	
	(viii)	15619	29.12.06	
	(ix)	15643	29.12.06	538887
25.8.07		16756	26.7.07	97720
18.1.08	(i)	17039	4.10.07	
	(ii)	17155	3.11.07	
	(iii)	17156	3.11.07	
	(iv)	1136000273	29.9.07	
	(v)	17317	7.12.07	
	(vi)	17325	12.12.07	
	(vii)	17397	1.1.08	
	(viii)	17345	2.1.08	
	(ix)	17458	3.1.08	344411
12.3.08		17607	10.1.08	322675
20.3.08		17628	6.2.08	32600
3.4.08	(i)	17659	18.2.08	
	(ii)	17786	5.3.08	
	(iii)	17889	28.3.08	217400
3.4.08		17888	28.3.08	9200
3.5.08		499	24.4.08	90165
9.5.08		18130	29.4.08	41780
19.6.08		18318	27.5.08	13800
4.7.08		18416	9.6.08	61075
25.7.08		18550	11.7.08	12215
25.7.08		18566	11.7.08	12215
19.12.08		1505	—	16400
19.3.09		18764	12.8.08	52410
28.4.09		19071	15.9.08	34830
15.6.09	(i)	18950	10.9.08	
	(ii)	19290	31.10.08	

	(iii)	18984	2.9.08	
	(iv)	19114	25.9.08	25600
24.6.09		–	–	8600
22.8.09		–	–	69895
16.10.09		23049	23.8.10	8600
16.8.11		–	–	93065
19.4.12		27257	15.3.12	48268
19.4.12		26805	19.1.12	85955
6.12.12	(i)	28174	9.7.12	
	(ii)	28309	18.7.12	357754
			योग	**2595520**

क्रय किए गए एयर कन्डीशनर का विवरण

दिनांक	**फर्म का नाम**	**बिल संख्या**	**दिनांक**	**राशि**
24.5.07	मै0 साहनी इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	4229	7.5.07	31980
27.7.07	–यथोपरि–	64	12.7.07	16340
13.8.07	–यथोपरि–	322	23.7.07	15990
14.9.07	–यथोपरि–	453	6.9.07	16590
7.6.08	–यथोपरि–	2208	4.6.08	57000
19.6.08	–यथोपरि–	2238	11.6.08	19700
11.6.09	–यथोपरि–	1092	20.5.09	59100
12.6.09	–यथोपरि–	187	4.6.09	29550
12.6.09	–यथोपरि–	130	28.5.09	29550
12.6.09	–यथोपरि–	201	6.6.09	59100
29.6.09	–यथोपरि–	202	29.6.09	47680
17.9.09	–यथोपरि–	473	27.8.09	29550
5.7.10	–यथोपरि–	3418	16.6.10	44100
			योग	**₹456230**

क्रय किए गए फर्नीचर का विवरणः–

दिनांक	**फर्म का नाम**		**बिल संख्या**	**दिनांक**	**राशि**
30.8.06	अशोका स्टील फर्नीचर इन्डस्ट्रीज राम नगर मण्डी	(i)	666	21.8.06	
		(ii)	667	21.8.06	
		(iii)	668	21.8.06	60622
13.8.07	इन्दू फर्नीचरज सोलन		816	31.7.07	29733
20.9.07	मै0 यूनिवर्सल कमपयूटर्ज ऊना		245	7.3.07	45428

11.10.07	मै0 सूर्या इन्टरप्राईजिज ऊना		607	30.8.07	52075
15.3.08	मै0 अशोका स्टील फर्नीचर इन्डस्ट्रीज राम नगर मण्डी	(i)	1330	21.2.08	
		(ii)	1331	21.2.08	
		(iii)	1332	21.2.08	
		(iv)	1333	21.2.08	42016
27.3.08	मै0 सूर्या इन्टरप्राईजिज ऊना		682	17.3.08	19125
29.6.09	–यथोपरि–		182	–	10634
29.6.09	मै0 विजय स्टील वर्कस ऊना		362	17.3.09	6563
10.7.09	–यथोपरि–		711	–	13989
10.7.09	–यथोपरि–		710	–	8258
				योग	**₹288443**

क्रय की गई अन्य मदों का विवरण

दिनांक	**फर्म का नाम**	**बिल संख्या**	**दिनांक**	**मद का नाम**	**राशि**
1.6.07	मै0 रजनीश इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	074	24.5.07	पी0बी0एक्स	14800
12.6.08	मै0 यूनाईटिड इलैक्ट्रिक कम्पनी ऊना	2300	28.5.08	पंखे	5540
18.8.08	–यथोपरि–	2509	6.8.08	कोर्डलैस फोन	2125
3.7.08	मै0 एम0बी0 सैणी फिटवैल स्टोर ऊना	1923	5.6.08	Kalsi Pump	2350
19.12.08	मै0 भगवती फायर सेफटी इन्टरप्राईजिज ऊना	–	–	फायर Extiyuisher	14820
24.2.09	मै0 शर्मा फायर सेफ्टी इक्यूपमैन्ट नारी चिन्तपूर्णी	–	–	–यथोपरि–	21300
8.4.09	मै0 सूर्या इन्टरप्राईजिज ऊना	148	21.1.09	विटरफाईट टाईल्ज	51972
23.10.09	मै0 रजनीश इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	(i) 1072	12.10.09		
		(ii)1073	12.10.09	PBX System	107860
11.12.10	मै0 सरगम म्यूजिक नैस्ट ऊना	–	24.12.09	रेडियम लाईन बोर्ड	16820
				योग	**₹237587**

14 परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क के 25 प्रतिशत भाग की ₹395754/– को राजकीय कोष में जमा न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 (एफ) (1) 3/2000 ई0 गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.05 के अनुसार परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा

शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश सरकार के कोष में जमा करवाया जाना है। जाँच में पाया गया कि अवधि 9/05 से 6/07 के दौरान (आर0एल0ए0) ऊना द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवा शुल्क के रूप में ₹1583015/– को ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना के पास जमा करवाई गई है। उक्त राशि का 25 प्रतिशत भाग ₹395754/– राजकोष में जमा करवाया जाना था, परन्तु ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) की रोकड़ बही में राजकोष में राशि जमा करवाने का कोई भी उल्लेख न होने का कारण इस प्रकरण को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 19/2015 दिनाँक 21.1.15 के द्वारा अध्यक्ष ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उपायुक्त ऊना के ध्यान में लाया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः ₹395754/– चालान द्वारा राजकोष में शीघ्र जमाकरवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

15 पास बुक प्रिन्टर का क्रय करने पर ₹10065/– का अधिक भुगतान करनाः–

मैसर्ज यूनिवर्सल कम्पयूटर ऊना से बिल संख्या 281 दिनाँक 8.9.10 द्वारा एक पास बुक प्रिन्टर का क्रय करने के लिए चैक संख्या 631690 दिनाँक 1.11.10 के अन्तर्गत ₹32540/– का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि यह क्रय खुले बाजार से निविदाऐं मंगवाकर किया गया। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलपमैन्ट कारपोरेशन शिमला ने अपने प्रोफोर्मा इन्वायर संख्या टी0–201/खण्ड–57/HW/SW-Rates/July-2010-2956 दिनाँक 6.7.10 द्वारा पास बुक के प्रिन्टर की दर ₹22475/– (बिक्री कर) सहित दी थी, परन्तु पास बुक प्रिन्टर का क्रय खुले बाजार से निविदाऐं मँगवाकर मैसर्ज यूनिवर्सल कम्पयूटर ऊना से ₹32540/– में किया गया। इस प्रकार फर्म को ₹10065/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

16 सर्विस सटैम्पस क्रय करने के लिए आहरित की गई ₹10000/– के बारे मेंः–

दिनाँक 1.10.10 को चैक संख्या 630017 द्वारा AC to DC Una द्वारा सर्विस सटैम्पस क्रय करने के लिए ₹10000/– आहरित की गई, परन्तु उनके द्वारा क्रय की गई टिकटों को भण्डार पंजिका में दर्ज नहीं किया गया है जिससे इसके आगामी खपत करने की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अभिलेख सहित इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

17 दिनाँक 1.12.12 को चैक संख्या 760622 के द्वारा श्रीमती पूनम शर्मा IT Facilitator को मास 11/2012 के वेतन का ₹8000/– का भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान के समर्थन में वास्तविक भुगतान रसीद/अभिलेख में उपलब्ध न थी जिसे आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 तहसीलदार ऊना को किए गए ₹31000/– के भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

दिनाँक 21.12.06 को संयुक्त पटवार/कानूनगो संघ जिला ऊना की बैठक जोकि उपायुक्त ऊना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी की मद संख्या 18 में लिए गए निर्णय क अनुसार चैक संख्या 045994 दिनांक 2.7.07 द्वारा तहसीलदार ऊना को ₹31000/– जारी की गई है। पत्र क्रमाँक DC Una-e-Governance-D-Purchases/Furniture-3/2006-163 दिनाँक 6.7.07 के अनुसार इस राशि को नियमानुसार व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना वाँछित था, परन्तु उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 जलपान पर ₹81258/– का अनियमित भुगतान करनाः–

ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी केन्द्रीय ईकाई ऊना द्वारा 9/05 से 7/12 के दौरान ₹81258/– का व्यय/भुगतान जलपान पर किया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई0 गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.05 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विरूद्ध है। अतः निम्नविवरणानुसार किए गए ₹81258/– व्यय का औचित्य नियमानुसार दिया जाए।

चैक संख्या	दिनाँक	जलपान पर व्यय
749254	13.9.05	360
748781	24.1.06	150
748782	24.1.06	7267
748785	24.1.06	430
748788	24.1.06	112
340447	8.10.09	30015
340458	26.11.09	3162
354610	6.1.10	960
354611	6.1.10	6000
042683	4.2.10	3405
356892	5.7.10	11869

630004	2.8.10	340
630011	24.8.10	340
630020	1.10.10	180
041974	26.4.11	580
043663	2.5.11	453
043672	27.5.11	435
043677	17.6.11	220
047083	5.8.11	9563
047086	16.8.11	220
952961	4.10.11	480
952965	20.10.11	9977
446483	19.4.12	3241
446487	19.4.12	325
446499	25.5.12	660
456309	3.7.12	16535
456310	3.7.12	989
	योग	**₹81258**

20 DMP प्रिन्टर का क्रय करने के लिए ₹3381/– का अधिक भुगतान करनाः–

मैसर्ज यूनिवर्सल कम्पयूटर ऊना से बिल संख्या 245 दिनाँक 7.9.07 के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रय की गई मदो ंके लिए ₹45428/– का भुगतान किया गया।

Particulars	Qty	Rate	Amount
HCL Computer	1	24990	24990
DMP Printer (Wep HQ 1070 DX 24 Pins 136 Col.)	1	14990	14990
Compouter Table	2	1850	3700
			43680
		बिक्री कर 4%	**1748**
		योग	**₹45428**

उपरोक्त मदो का क्रय स्थानीय बाजार से निविदाएं मंगवाकर किया गया। जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलेपमैन्ट कारपोरेशन शिमला द्वारा पूर्व में DMP Printer CWEP HQ 1070 DX 24 Pins 136 Col) की आपूर्ति बिल संख्या 16756 दिनाँक 26.7.07 द्वारा ₹12234/– (11745.19+4**%** वैट) में की थी, परन्तु संस्था द्वारा उक्त मद का क्रय हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलपमैन्ट कारपोरेशन शिमला से न करके ₹15615 (14990+4**%** वैट) में मैसर्ज यूनिवर्सल कम्पयूटर से करके ₹3381/– (15615–12234) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

21 मुख्य प्रशासक ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त न करनाः—

(क) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलपमैन्ट कारपोरेशन शिमला को उनके प्रोफोर्मा इन्वायस संख्या DEGS/CH/Vol-5/2013-232 दिनाँक 22.10.13 द्वारा कम्पयूटर क्रय करने के लिए दिनाँक 23.10.13 को अग्रिम ₹146520/— का भुगतान मुख्य प्रशासक ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना के अनुमोदन लिए बिना किया गया है जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) चैक संख्या 077929 दिनाँक 5.12.05 द्वारा मैसर्ज यूनिवर्सल सिस्टम ऊना को बिल संख्या 187 दिनाँक 25.10.05 तथा बिल संख्या 202 दिनाँक 18.11.05 के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रय की गई मदो ंके लिए ₹117884/— का भुगतान मुख्य प्रशासक ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना के अनुमोदन के बिना किया गया है। इसके क्रय की गई अतिरिक्त मदों को भण्डार पंजिका में दर्ज नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में वाँछित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

बिल संख्या	दिनाँक		मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
187	25.10.05	(i)	ADF Scanjet	1	46280	46280
		(ii)	DMP 24 Pins	1	19240	19240
		(iii)	Wed Cam	1	6084	6084
202	18.11.05		स्कैनर	1	46280	46280
					योग	**₹117884**

22 मूल बिल अभिलेख में उपलब्ध न होनाः—

(क) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलपमैन्ट कारपोरेशन शिमला को चैक संख्या 760625 दिनांक 6.12.12 द्वारा निम्न बिलों के विरूद्ध ₹357754/— का भुगतान किया गया, परन्तु किए गए भुगतान के समर्थन में मूल बिल अभिलेख में उपलब्ध न थे जिन्हें आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

बिल संख्या	दिनाँक
28174	9.7.12
28309	18.7.12

(ख) चैक संख्या 061693 दिनाँक 8.7.09 द्वराा तहसीलदार ऊना के कोर्ट की मुरम्मत के लिए ₹44750/— का भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान के समर्थन में अनुमान/मूल बिल उपलब्ध नहीं थे जिन्हें आगामी अंकेक्षण मे ंउपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

23 मोबाईल अलाउंस के भुगतान बारेः—

ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना केन्द्रीय ईकाई द्वारा दिनाँक 7.9.09 को हुई बैठक की मद संख्या 4 के अन्तर्गत अधिकारियों को निम्नविवरणानुसार निर्धारित दर पर मोबाईल भत्ते का भुगतान करने के लिए निर्णय लिया गया।

Chief Administrator-cum-DC	₹800 प्रति मास
ADM/SDM/AC/DIO	₹500 प्रतिमास
DRO/Tehsildar/Naib Tehsildar/DIA	₹300 प्रतिमास

परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000–ई0 गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.05 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में इस प्रकार के भुगतान का प्रावधान न होने पर भी मोबाईल भत्ते का प्रतिमास भुगतान किया गया है। अतः इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 अनुबन्ध पर रखे गए कर्मचारियों के अनुबन्धों का नवीनीकरण न करने बारेः–

ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना द्वारा निम्नानुसार कर्मचारियो ंको निर्धारित दर पर रखा गया है तथा वेतन में बढ़ौतरी भी की जा रही है, परन्तु उनसे अनुबन्धों का नवीनीकरण प्रतिवर्ष नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री रणजीत सिंह (सफाई कर्मचारी) तथा श्री मुख्तयार सिंह पटवारी को रखने के लिए मुख्य प्रशासक से अनुमति नहीं ली गई है। अतः अनुबन्धों का नवीनीकरण प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित किया जाए तथा मुख्य प्रशासक की अनुमति के बिना उक्त दो कर्मचारियों को रखने का औचित्य नियमानुसार दिया जाए।

क्र0सं0	नाम
1	श्री अनिल कुमार कटारिया
2	श्री प्रदीप कुमार
3	श्री हरमीक सिंह
4	श्री अजय कुमार
5	श्री जसविन्द्र सिंह
6	श्रीमती सीमा रानी
7	श्री राजेश कुमार
8	श्री सतपाल
9	श्री यशविन्द्र
10	कुमारी अन्जना
11	श्री सन्दीप कालिया (चपड़ासी)
12	श्री जितेन्द्र कुमार (सफाई कर्मचारी)
13	श्री अरूण कुमार
14	श्री रणजीत सिंह (सफाई कर्मचारी)
15	श्री मुख्तयार सिंह (पटवारी)

25 वाहन पंजीकरण शुल्कों एवं ड्राईविंग लाईसैन्स भाुल्क की राशि को अनुमोदित न करवानाः–

अंकेक्षण अवधि क चयनित मासों में वाहन पंजीकरण शुल्कों एवं ड्राईविंग लाईसैन्स शुल्को से प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार इन शुल्को ंकी दरो ंकी वसूली उपायुक्त काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या ई0 गव0–डी0एच0एस0 दिनाँक 9.10. 02 में वर्णित दरों के अनुसार की गई है। ई0 गवर्नेन्स समिति ऊना द्वारा इन निर्धारित दरो ंका अतिक्रमण करते हुए इन्हें 17.8.04 क बाद से लागू किया गया परन्तु उक्त दरों क अनुमोदन करने बारे तथा इन्हें लागू करने बारे उपायुक्त एवं अध्यक्ष ई0 गवर्नेन्स समिति ऊना के आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त आदेश सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

Registration of Vchicles

(i)	Two Wheelers	100
(ii)	Vehicle with purchase price upto 3 Lac	150
(iii)	Vehicles over with purchase over3 Laces	200
(iv)	Issue & Renewal fitness Certificate	25
(v)	Issue of RC (new) on account of loss/destruction/HPA Concellation or entry/alteration/Charges in ownership	50
	Driving Licences	100
	Lerners Licences	50

26 रसीद पुस्तिकाओं का मुद्रण करवाने के पश्चात स्टॉक में इन्द्राज न करने बारेः–

संस्था द्वारा सेवा शुल्को ंकी प्राप्ति हेतु वाहन तथा सारथी साफटवेयर के लागू होने से पहले सभो प्रकार के शुल्कों को मुदित रसोदों द्वारा प्राप्त किया गया था परन्तु रसीद पुस्तिकाओं के मुद्रण से पूर्व अनुमति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त मुद्रित करवाई गई रसीदों पुस्तिकाओ को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया तथा अप्रयोग रसीदों, जिन पर मुद्रित शुल्क राशि थी, को भी नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई करके एवं वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

27 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई ऊना से समय–2 पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (RLA) ऊना को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) ऊना से केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई ऊना से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 लघु आपत्ति विवरणिकाः– इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

29 **निष्कर्षः**— लेखाओं के रख—रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xii) 38/2015 खण्ड—1—2900—2904 दिनांक27.05.2015, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1 उप—मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई0—गवर्नेंस सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई—गवर्नेंस सोसाईटी ऊना, हि0प्र0

3 निदेशक, (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला—03

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला—02

5 श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा............................

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009